



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112022-240671
CG-DL-E-30112022-240671

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5323]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/अग्रहायण 9, 1944

No. 5323]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

(आयकर)

का.आ. 5555(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन, व्यक्तियों और उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट आय के रूप में अधिसूचित करती है, नामतः -

- (क) फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अंडर -17 महिला विश्व कप, 2022 अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के रूप में;
- (ख) फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, व्यक्ति के रूप में;
- (ग) राष्ट्रीय संबल प्रदाताओं जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, पर्यटन विभाग, ओडिशा सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त होने वाली आय - बारह करोड़ पचास लाख रुपया मात्र (रु. 12,50,00,000/-), फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, अंडर -17 महिला फुटबॉल विश्व कप, 2022, का भारत में आयोजन कराने से फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन को होने वाली आय के रूप में यथा-विनिर्दिष्ट:

[अधिसूचना सं. 126/2022/फा. सं. 200 / 8 /2022 - आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव